समाचार

# हेयर कटिंग सेलून के लिए मंगलवार को साप्ताहिक अवकाश

कोरबा 26 अगस्त 2020 –नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत स्थित हेयर कटिंग सेलून, नाई की दुकान के लिए प्रत्येक मंगलवार को साप्ताहिक अवकाश दिवस रहेगा। अपर आयुक्त श्री अशोक शर्मा ने तदाशय का पत्र जारी कर तदानुसार व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जोन कमिश्नरों व उप जोन प्रभारियों को दिए हैं।

यहां उल्लेखनीय है कि निगम क्षेत्रांतर्गत स्थित विभिन्न व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, बाजारों आदि के लिए क्षेत्रवार अलग–अलग तिथियों में साप्ताहिक अवकाश दिवस निर्धारित किए गए हैं। जिला सेलून एवं पार्लर व्यापारी संघ द्वारा कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल को पत्र लिखकर हेयर कटिंग सेलून, पार्लर आदि के लिए मंगलवार को साप्ताहिक अवकाश दिवस निश्चित किए जाने का अनुरोध किया गया है। कलेक्टर श्रीमती कौशल के निर्देश पर अपर आयुक्त श्री अशोक शर्मा ने आदेश जारी कर हेयर कटिंग सेलून, नाई की दुकानों हेतु साप्ताहिक अवकाश दिवस प्रत्येक मंगलवार को निश्चित कर दिया है। शेष व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, दुकानों आदि के लिए पूर्व का आदेश यथावत रहेगा।

**आज किया गया 4750 रू. जुर्माना** – सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने, मास्क न पहनने, नियमों का उल्लंघन करने, निर्धारित समय के बाद भी दुकान खोलने आदि प्रकरणों पर निगम अमले द्वारा आज अपने विभिन्न जोनांतर्गत कार्यवाही करते हुए 4750 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया तथा कड़ी हिदायत दी गई कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, दुकानों को निर्धारित समय पर बंद करें तथा कोविड–19 के नियमों एवं जिला प्रशासन के निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करें।

**नियमों का पालन कराने जुटा रहा निगम का अमला**– नगर पालिक निगम कोरबा के कोरबा, टी.पी.नगर, कोसाबाड़ी, रविशंकर शुक्ल, बालको, दर्री, बांकीमोंगरा एवं सर्वमंगला सभी 08 जोन में जोन कमिश्नरों की अगुवाई में निगम का अमला कोविड–19 से संबंधित नियमों एवं जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन कराने में जुटा रहा। निर्धारित समय के पश्चात दुकानें खुली न रहे, निर्धारित समय पर दुकानें बंद हों, इस पर निगम अमले ने सतत नजर रखते हुए दुकानों को समय पर बंद कराया तथा जिन दुकानदारों द्वारा समय के पश्चात भी दुकानें खोल रखी गई थी, उन पर अर्थदण्ड आरोपित किया गया।

**मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग पर सतत जनजागरूकता** –नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा अपने सभी जोनांतर्गत स्थित वार्डो, बस्तियों, व्यवसायिक क्षेत्रों, बाजारों, आवासीय क्षेत्रों, मार्गो आदि में लाउण्डस्पीकर के माध्यम से मुनादी

कराई जा कर मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने तथा कोविड–19 के प्रोटोकाल का पालन करने संबंधी जनजागरूकता का कार्य निरंतर किया जा रहा है। लोगों को समझाईश दी जा रही है कि वे वायरस के संक्रमण से बचने एवं उसका प्रसार रोकने के लिए मास्क अनिवार्य रूप से पहने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन करें, घर पर ही सुरक्षित रहें, बेवजह घर से बाहर न निकले।

होम क्वारन्टाईन व्यक्तियों की सतत निगरानी– नगर पालिक निगम कोरबा के सभी 08 जोन में स्थित वार्डो में होम क्वारन्टाईन पर रह रहे लोगों की सतत निगरानी दलों के द्वारा की जा रही है, आज भी निगरानी दल के सदस्य होम क्वारन्टाईन लोगों के घरों तक पहुंचे तथा औचक रूप से निरीक्षण किया, इस दौरान होम क्वारन्टाईन पर रह रहे सभी व्यक्ति अपने घरों पर ही पाये गए। निगरानी दल के सदस्यों ने उन्हें समझाईश दी कि वे अपने घर के बाहर कदापि न निकले, घर पर ही आराम से रहें। इसके साथ ही दल के सदस्यों ने होम क्वारन्टाईन व्यक्तियों की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी प्राप्त की।